सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— **15/2018** दायर दिनाँक **13.09.2018**

आवेदक		अनावेदकगण
1. हणमानराम पुत्र लिछमणराम, उम्र—68साल, जाति—जाट, निवासी—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कुम्भाराम पुत्र लादूराम, जाति—जाट, 2. सुगनकँवर पत्नी सोबसिंह, जाति—राजपूत, समस्त,निवासी—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—

1. सर्वश्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा, वकुलाय, आवेदक।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **18.07.2019**

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम खुनखुना में स्थित खेत खसरा नम्बर 611/20 रकबा 30.00 बीघा के खातेदार है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 775 दिनाँक 21.02.2019 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 612/20 में से होकर दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर 611/20 की भूमि में जाती है।

विद्वान वकुलाय आवेदक की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीपक्ष आवेदन को स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे हैं। वकुलाय प्रार्थीपक्ष की बहस पर मनन् किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। सरहद खुनखुना के खसरा नम्बर 611/20 रकबा 30.00 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने—जाने के लिए निकटतम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–15/2018
दायर दिनाँक 13.09.2018 निर्णय दिनाँक 18.07.2019
हणमानराम बनाम् कुम्भाराम, वगैरा।

रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए बी सी डी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 611/20 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 611/20 वाकै सरहद खुनखुना में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक: 775 दिनाँक 21.02.2019 में लाल स्याही से दर्शित मार्क ए वी सी डी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावे।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **18.07.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner